an>

Title:Need to withdraw the circular dated 6th May, 2015 issued by Delhi Govt. regarding defamation.

**श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान दिल्ली सरकार द्वारा मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाने की ओर दिलाना चाहता हूं। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में होने पर मीडिया के बारे में सर्वेक्षण करा रही है। इस प्रकार का फरमान हमें सन् 1878 के " वर्नाकुलर प्रेस एक्ट " जैसे कठोर एक्ट की याद दिलाता है। दिल्ली के रहनुमा खुद आंदोलनों और आरोपों की राजनीति करते हैं और मीडिया व अन्य कोई व्यवस्था यदि सच्चाई उजागर करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सर्कुलर जारी किए जाते हैं। यह लोकतंत्र पर हमला है। सभी नेता नौकरशाह और देश के सम्मानित नागरिक, जिन्होंने देश की तरक्की में अपना योगदान दिया है, उन सभी की उन्हें सूची बनाने का अधिकार है। उनकी सूची भ्रÂट बताकर उनका अपमान करेंगे और स्वयं को ईमानदार राजा हरीश चन्द्र घोÂि◌ात करेंगे परन्तु जब तुम्हारी कार्यप्रणाली और झूठ की कोई चर्चा करेगा तो धारा 499, 500 के तहत उसे जेल भेजने की धमकी देंगे।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए भारत के वीर सपूतों ने कुर्बानी दी था। किसी ने सीने में गोली खाई थी और कोई फांसी चढ़ा था। देश के वीर सपूतों ने ढाई सौ वÂाल अंग्रेजों की गुलामी के बाद देश को आजाद कराया था तब देश में संविधान के अनुसार लोकतंत्र स्थापित करने वाले उन चार स्तम्भों का जिक्र किया गया है, जिनमें विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका व मीडिया हैं। यहां मीडिया पर दबाव बनाने की मानसिकता से मीडिया दबाव में रहकर सरकार की वादाखिलाफी जनविरोधी कार्यप्रणाली को उजागर न कर सके और मीडिया अपने कर्तव्य का पालन न कर सके। यह हमारे संविधान के अनुसार व्यक्ति की आजादी और उसके मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है। यह सर्कुलर मुझे फूड फाउंडेशन से दिए धन की तरफ ध्यान दिलाता है जो भारत में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए उस नेता ने फूड फाउंडेशन से लिया था। भारत को कमजोर करने के लिए, भारत में लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। मैं माननीय गृहमंत्री से और भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि दिल्ली-एनसीआर की सरकार से इस तुगलकी फरमान को यथाशीघ्र वापस लेने के लिए आदेश दे।

**माननीय अध्यक्ष :**

श्री निशिकांत दुबे,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री पी.पी. चौधरी और

डॉ. मनोज राजोरिया को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विÂाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।